

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 63/2019

निर्णय दिनांक — 17.05.2019

1. पुरणमल पिता बाबुलाल पूर्बिया, आयु वयस्क, निवासी सावा, तहसील चित्तौड़गढ़।
 2. राधेश्याम पिता बाबुलाल पूर्बिया, आयु वयस्क, निवासी सावा, तहसील चित्तौड़गढ़।
 3. संतोष बाई पुत्री बाबुलाल पूर्बिया, आयु वयस्क, निवासी सावा, हा.मु. चांदखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
 4. धापु बाई बेवा बाबुलाल पूर्बिया, आयु वयस्क, निवासी सावा, तहसील चित्तौड़गढ़।
- प्रार्थीगण

// /बनाम//

1. मो. हुसैन पिता नूर खान मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
 2. उंकार लोहार, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
 3. शोकिन पिता नसुर खान मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
 4. सिराजुद्दीन पिता ईमाम मगस मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी रानीखेड़ा।
- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा भेमली की खाता संख्या 71 की आराजी नं. 144, 145, 146 कुल किता 3 कुल रकबा 2.3600 हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा भेमली की खाता संख्या 71 की आराजी नं. 144, 145, 146 कुल किता 3 कुल रकबा 2.3600 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 17.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

